

विषय सूची

विषय	संदर्भ	
	कंडिका क्र.	पृष्ठ क्र.
प्राक्कथन		ix
विहंगावलोकन		xi

भाग-1: सामान्य, सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्र

अध्याय 1— परिचय		
इस प्रतिवेदन के विषय में	1.1	1
विभागों के व्यय की रूपरेखा	1.2	1
प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) का कार्यालय	1.3	2
लेखापरीक्षा के लिए प्राधिकार	1.4	3
नियोजन एवं लेखापरीक्षा का संचालन	1.5	3
लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर विभागों की प्रतिक्रिया	1.6	5
आभार	1.7	7
अध्याय 2— निष्पादन लेखापरीक्षा		
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग		
"अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) के कार्यान्वयन" पर निष्पादन लेखापरीक्षा	2.1	9
अध्याय 3— अनुपालन लेखापरीक्षा		
जल संसाधन विभाग		
सिंचाई परियोजना हेतु नाबार्ड सहायता प्राप्त ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि (आरआईडीएफ)	3.1	45
कृषि विकास, किसान कल्याण एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग		
पूर्वी भारत में हरित क्रांति लाना	3.2	67
एकीकृत बागवानी विकास मिशन का कार्यान्वयन एवं खरीद	3.3	89
कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग		
छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण के अंतर्गत कौशल विकास प्रशिक्षण	3.4	111

वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग		
बिगड़े वनों का सुधार कार्य का कार्यान्वयन	3.5	131
लेखापरीक्षा कंडिकाएं	3.6	155
लोक निर्माण विभाग		
कार्य पूरा होने से पहले अतिरिक्त निष्पादन सुरक्षा विमुक्त करना	3.6.1	155
अपूर्ण स्काई वॉक पर निरर्थक व्यय	3.6.2	157

भाग-2: राजस्व क्षेत्र

अध्याय 4— सामान्य		
प्रस्तावना	4.1	161
राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति	4.2	161
लेखापरीक्षा प्राधिकार	4.3	167
लेखापरीक्षा की योजना एवं संचालन	4.4	167
बकाया राजस्व का विश्लेषण	4.5	168
लेखापरीक्षा के प्रति शासन/विभागों की प्रतिक्रिया	4.6	169
अध्याय 5— अनुपालन लेखापरीक्षा		
राज्य कर विभाग		
माल एवं सेवा कर भुगतान एवं विवरणी दाखिल करने पर विभाग की निगरानी	5.1	171

भाग-3: सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम

अध्याय 6— अनुपालन लेखापरीक्षा		
छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड		
छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड में उपभोक्ता बिलिंग और संग्रहण दक्षता	6.1	203

परिशिष्ट

परिशिष्ट क्र.	विषय	संदर्भ	
		कंडिका क्र.	पृष्ठ क्र.
(भाग-1)			
1.1	लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों एवं कंडिकाओं का विभागवार विवरण (सामान्य, सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्र)	1.6.1	237
1.2	लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों एवं कंडिकाओं का विभागवार विवरण (पीएसयू)	1.6.1	238
1.3	अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए जाने के प्रकरण वाले ईकाइयों का विवरण	1.6.5	239
2.1.1	अमृत के तहत माइलस्टोन की प्राप्तियों को प्रदर्शित करने वाला विवरण	2.1.7.3	240
2.1.2	क्षमता निर्माण के अंतर्गत कार्यकर्ताओं को प्रदान किये गये प्रशिक्षण का विवरण	2.1.7.3	244
2.1.3	अमृत योजना के तहत निष्पादित अपूर्ण कार्यों का विवरण	2.1.8.2	245
2.1.4	जल आपूर्ति योजना में पीएससीपी और डीआई के-7 और के-9 पाइप के लागत में अंतर का विवरण	2.1.8.4	246
2.1.5	अमृत मिशन के अंतर्गत जारी की गई निविदा का विवरण	2.1.9.2	248
3.1.1	भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया पूर्ण किए बिना ही कार्य सौंपे जाने के कारण कार्य पूरा न होने को दर्शाने वाला विवरण	3.1.8.1	251
3.1.2	सिंचाई क्षमता (आईपी) का कम/सृजन न होना	3.1.8.6	252
3.2.1	राज्य कार्य योजना में स्वीकृत हस्तक्षेप वार लक्ष्य को दर्शाने वाला विवरण (चावल)	3.2.6.1	256
3.2.2	राज्य में प्रदर्शनों का लक्ष्य और उपलब्धि दर्शाने वाला विवरण	3.2.7.1	257
3.2.3	चयनित जिले में क्रोपिंग सिस्टम का लक्ष्य और उपलब्धि दर्शाने वाला विवरण	3.2.7.1(iii)	258

3.2.4	राज्य में कृषि उपकरणों के वितरण का लक्ष्य और उपलब्धि दर्शाने वाला विवरण	3.2.7.3(ii)	259
3.2.5	बीजीआरईआई जिलों में योजना के अंतर्गत उत्पादकता की स्थिति दर्शाने वाला विवरण	3.2.9.1	261
3.3.1	मार्च 2022 तक बकाया अस्थायी अग्रिमों का विवरण	3.3.7.2	262
3.3.2	शेड नेट के निर्माण के लिए सब्सिडी पर व्यय	3.3.8.3	262
3.3.3	शेडनेट हाउस पर सब्सिडी के अधिक भुगतान को दर्शाने वाला विवरण	3.3.8.3	263
3.3.4	कम लागत वाली प्रतिरक्षण इकाई के लिए दी गई सब्सिडी का विवरण	3.3.8.5	264
3.4.1	एक ही प्रशिक्षु को दो अलग-अलग/समान पाठ्यक्रमों में एक साथ प्रशिक्षण दिए जाने के मामलों को दर्शाने वाला विवरण	3.4.7.3(ब)	265
3.4.2	शासकीय वीटीपी के पास पड़ी उपयोग नहीं की गई राशि का विवरण	3.4.8.1	268
3.5.1	चयनित वनमंडलो द्वारा वर्ष 2019-22 के दौरान किए गए आरडीएफ (वृक्षारोपण रहित) कार्य का विवरण	3.5.11.1	270
3.5.2	रिक्त क्षेत्र में आरडीएफ कार्य किए जाने के कारण अनियमित व्यय का विवरण	3.5.11.1	272
3.5.3	पौधों की कम जीवित रहने की प्रतिशतता के कारण अनुपयोगी व्यय का विवरण	3.5.11.2(क)	278
3.5.4	वर्ष 2019-20 से 2021-22 तक वनग्राम क्षेत्र में किये गये आरडीएफ कार्य का विवरण	3.5.11.2(ख)	279
3.5.5	सीपीटी पर वृक्षारोपण कार्य के मानदंडों का पालन न करने के कारण अधिक व्यय का विवरण	3.5.11.3(क)	280
3.5.6	सीपीटी पर वृक्षारोपण कार्य के मानदंडों का पालन न करने के कारण अधिक व्यय का विवरण	3.5.11.3(ख)	284
3.5.7	सीपीटी पर वृक्षारोपण कार्य के मानदंडों का पालन न करने के कारण अधिक व्यय का विवरण	3.5.11.3(ग)	290
3.5.8	आरडीएफ क्षेत्र में अधूरे कार्यों का विवरण	3.5.11.4	296

3.5.9	पौधों के कम जीवित प्रतिशतता पर निष्फल व्यय का विवरण	3.5.12.2(ग)	304
3.5.10	क्रय नियम का पालन किए बिना बीज खरीद का विवरण	3.5.12.4(क)	306
3.5.11	सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के बिना अन्य विक्रेताओं से अनियमित गोबर क्रय का विवरण	3.5.12.4(ख)	308
3.5.12	मिट्टी परीक्षण के बिना किये गये वृक्षारोपण कार्य का विवरण	3.5.12.5	310
3.5.13	आरडीएफ (वृक्षारोपण सहित) कार्य (प्रथम वर्ष से छठे वर्ष तक) पर आवंटन और व्यय का विवरण	3.5.12.6	312
3.5.14	आरडीएफ (प्रथम वर्ष से छठे वर्ष तक) कार्य पर आवंटन और व्यय का विवरण	3.5.13.1	314

(भाग-2)

5.1.1	विभिन्न श्रेणियों की लेखापरीक्षा के लिए नमूने के बटवारे का विवरण	5.1.5	316
5.1.2	2017-18 से 2020-21 के दौरान विवरणी नहीं दाखिल करने वालों/देर से दाखिल करने वालों का विवरण	5.1.7.1	331
5.1.3	कर के विलंबित भुगतान पर ब्याज के अनारोपण का विवरण	5.1.7.1	333
5.1.4	2018-19 से 2020-21 के दौरान जारी किए गए एसएमटी 10/कारण बताओ सूचनाओं का विवरण	5.1.7.2	334
5.1.5	2017-18 से 2020-21 के दौरान पंजीयन निरस्तीकरण और अंतिम विवरणी (जीएसटीआर 10) दाखिल नहीं किए जाने का विवरण	5.1.7.3(अ)	336
5.1.6	करदाताओं के आवेदनों पर विलंबित पंजीयन निरस्तीकरण का विवरण	5.1.7.3(ब)	337
5.1.7(ए)	ऐसे प्रकरण जिनमें करदाताओं द्वारा डेटा प्रविष्टि की त्रुटियाँ की गई, का विवरण	5.1.8.1 एवं 5.1.8.5	338
5.1.7(बी)	ऐसे प्रकरण जिनमें लेखापरीक्षा द्वारा क्वेरी जारी करने से पूर्व कार्यवाही की जा चुकी थी, का विवरण	5.1.8.1 एवं 5.1.8.6	342
5.1.7(सी)	जिन प्रकरणों में विभाग द्वारा वैध स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया गया, का विवरण	5.1.8.1	344
5.1.7(डी)	जिन प्रकरणों में लेखापरीक्षा के दौरान राशि की वसूली की गई, का विवरण	5.1.8.1 एवं 5.1.8.3	349

5.1.7 (ई)	जिन प्रकरणों में करदाताओं को सूचनाएँ जारी की गई का विवरण	5.1.8.1 एवं 5.1.8.3	350
5.1.7 (एफ)	जिन प्रकरणों में करदाताओं को एसएमटी 10 जारी किया गया, का विवरण	5.1.8.1 एवं 5.1.8.3	353
5.1.7(जी)	जिन प्रकरणों में लेखापरीक्षा ने विभाग के उत्तर का खंडन किया, का विवरण	5.1.8.1 एवं 5.1.8.4	355
5.1.8	विस्तृत लेखापरीक्षा के अंतर्गत जिन प्रकरणों में करदाताओं द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया, का विवरण	5.1.9	356
5.1.9	जिन प्रकरणों में करदाताओं द्वारा ब्याज का भुगतान नहीं किया गया, का विवरण	5.1.9.1(ए)	358
5.1.10	जिन प्रकरणों में विवरणियों के विलंबित दाखिले पर विलंब फीस का भुगतान नहीं किया गया/ कम किया गया, का विवरण	5.1.9.1(बी)	358
5.1.11	जिन प्रकरणों में जीएसटी विवरणियों में डेटा प्रविष्टि की त्रुटियाँ की गई थीं, का विवरण	5.1.9.1(सी)	359
5.1.12	जिन प्रकरणों में अधिक आईटीसी लिया जाना देखा गया, का विवरण	5.1.9.2(ए) (I)	360
5.1.13	जिन प्रकरणों में आईटीसी का रिवर्सल नहीं देखा गया /कम देखा गया, का विवरण	5.1.9.2(सी) (I)	361
5.1.14	जिन प्रकरणों में कर का कम भुगतान देखा गया, का विवरण	5.1.9.3(ए) (I)	362
5.1.15	जिन प्रकरणों में कर का कम भुगतान देखा गया, का विवरण	5.1.9.3(ए) (II)	362
5.1.16	ऐसे प्रकरण जिनके वार्षिक विवरणी एवं वित्तीय विवरण में असमायोजित कर का भुगतान देखा गया, का विवरण	5.1.9.3(बी) (I)	363

(भाग-3)

6.1.1	चयनित सर्किल कार्यालय एवं उसके संभाग कार्यालय	6.1.5	364
6.1.2	चयनित सर्किलों में वितरण हानि को दर्शाने वाला विवरण	6.1.7.1	365
6.1.3	मार्च 2022 तक चयनित सर्किलों में कुल वर्तमान डीटीआर, डीटीआर जहां मीटर लगाए गए/नहीं लगाए गए और मीटर रीडिंग नहीं ली गई, की जानकारी दर्शाने वाला विवरण	6.1.7.2 (क)	367

6.1.4	चयनित सर्किलों में 33/11 केवी उप-स्टेशन (एसएस) और उन एसएस जहां कैपेसिटर बैंक (सीबी) स्थापित हैं, की कुल संख्या को दर्शाने वाला विवरण	6.1.7.2 (ख)	368
6.1.5	चयनित सर्किलों में वर्ष 2017-18 से 2021-22 के दौरान निष्पादन परिचालन एवं संधार.। (ओ एंड एम) और सतर्कता जांच, चोरी के मामलों का पता लगाने और वसूल की गई राशि को प्रदर्शित करने वाला विवरण	6.1.7.4	371
6.1.6	चयनित सर्किलों में केजेजेवाई उपभोक्ताओं के संबंध में छत्तीसगढ़ शासन को दावा की गई अतिरिक्त सब्सिडी को दर्शाने वाला विवरण	6.1.7.6	374
6.1.7	चयनित सर्किलों में वर्ष 2017-18 से 2021-22 के दौरान संग्रहण दक्षता दर्शाने वाला विवरण	6.1.8.1 एवं 6.1.8.2	375
6.1.8	(क) कंपनी द्वारा योजनावार दावा की गई और प्राप्त सब्सिडी को दर्शाने वाला विवरण (ख) कंपनी द्वारा लिए गए ऋण और छत्तीसगढ़ शासन द्वारा सब्सिडी जारी न करने के कारण उस पर ब्याज को दर्शाने वाला विवरण	6.1.8.7	377